

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक- /06/2025

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक जल-जीवन-हरियाली योजनान्तर्गत सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल में पथ तट शहरी वानिकी बांस गैबियन वर्षाकालीन वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹450.92 लाख (चार करोड़ पचास लाख बानवे हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹267.96 लाख (दो करोड़ सड़सठ लाख छियानवे हजार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक जल-जीवन-हरियाली योजनान्तर्गत सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल में पथ तट शहरी वानिकी बांस गैबियन वर्षाकालीन वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹450.92 लाख (चार करोड़ पचास लाख बानवे हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹267.96 लाख (दो करोड़ सड़सठ लाख छियानवे हजार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-428 दिनांक-16.05.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01- वानिकी, लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उपशीर्ष-0111 जल-जीवन-हरियाली, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-2406011010111 के विषय शीर्ष-0111.02.01-मजदूरी तथा 0111.21.01-सामग्री एवं पूर्तियों के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-12 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा वर्णित शीर्ष में राशि उपबंधित होने पर ही यह स्वीकृत्यादेश प्रभावी होगा। अन्यथा यह स्वीकृत्यादेश स्वतः रद्द माना जाएगा।
9. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
10. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
11. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
12. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
14. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
15. संचिका संख्या-129/2025 के पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-28.05.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-17.06.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
16. योजनाओं की समेकित संचिका संख्या-147/2025 के पृष्ठ-08/टि० पर दिनांक-17.06.2025 को अपर मुख्य सचिव की स्वीकृति एवं संचिका संख्या-129/2025 के पृष्ठ-07/टि० पर दिनांक-23.06.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनुलग्नक - यथोक्त।**

विश्वासभाजन

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-129/2025 ³¹⁷³ /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक- ²³ /06/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

Supaul Forest Division, Supaul

Estimate of Rains Bamboo Plantation Adv. cum completion work in Yr. 2025-26 and Maintenance work Yr. 2026-27 to 2028-29

Abstract

Name of Site		Range	Block	Length (in Km)	Bamboo Plantation	Mound Plantation	Total Plants	Year 25-26	Year 26-27	Year 27-28	Total
Chari Vanki Road Side Plantation											
1	B.S.S Collage to Chainsinghpatti (Two Side)	Supaul	Supaul	2.5	2000	0	2000	4466045	1497050	1552306	7515401
2	Kariho to Lowddih Tola (Two Side)	Supaul	Supaul	2.5	1000	0	1000	2233023	748525	776154	3757702
3	Chandpiper BRC to Gangapur (Two Side)	Supaul	Saraigarh	2.5	2000	0	2000	4466045	1497050	1552306	7515401
4	Majhua to Murl (Two Side)	Supaul	Saraigarh	2.5	2000	0	2000	4466045	1497050	1552306	7515401
5	Maheshpur to lalpur (Two Side)	Supaul	Pipra	2	1000	0	1000	2233023	748525	776154	3757702
6	Lalitgram to Ramjanki mandir (Two side)	Supaul	Chhatapur	3	1000	0	1000	2233023	748525	776154	3757702
7	Jivahpur pokhar to jivchpur market (Two side)	Supaul	Chhatapur	2.5	1000	0	1000	2233023	748525	776154	3757702
8	Nirmali Court Parisar	Birpur	Nirmali	1	1000	0	1000	2233023	748525	776154	3757702
9	Mansrovar Jheel Park ke Charo Side	Birpur	Basantpur	2	1000	0	1000	2233023	748525	776154	3757702
Total -				20.5	12000	0	12000	26796273	8982300	9313842	45092415

Rs.-45092415.00 (Four core Fifty lac ninety two Thousand Four hundred fifteen only.)

TS/TA granted for Rs 45092415/- only

Countersigned

B 22/4/2025

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
Purnea Circle, Purnea

Divisional Forest Officer,
Supaul Forest Division, Supaul